



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126265

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 5368

सन् 2026

राघवेंद्र यादव उर्फ मनीष यादव

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	:	अरुण कुमार सिंह
------------------------	---	-----------------

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता
--------------------------	---	-----------------

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से वाद संख्या 5545 सन् 2025, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 09 सन् 2024 से उत्पन्न है, धारा 427, 323, 504, 506 एवं 308 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, थाना-रनिया, जनपद कानपुर देहात में, उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने जांच में सहयोग किया है और उसके खिलाफ आरोप-पत्र पहले ही दाखिल की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि कथित अपराध के लिए अधिकतम सात साल की सज़ा हो सकती है। साथ ही यह भी बताया गया कि घायल व्यक्तियों, अजय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यादव और दीपक यादव, को चोटें तब आईं जब उनकी कार एक खड़ी गाड़ी से टकरा गई थी, जैसा कि घायल दीपक यादव ने जांच अधिकारी के सामने बताया था। आवेदक के विरुद्ध एक वाद के आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र के अनुच्छेद 23 में दिया गया है। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया है।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत का समय हमेशा सीमित नहीं होना चाहिए। उचित प्रकरणों में, यह विचारण के पूरा होने तक जारी रह सकती है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, उस व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना, और न्याय से बचने जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही, यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. अग्रिम जमानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय में, यह प्रकरण आवेदक को विचारण खत्म होने तक अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त है।

8. इसके अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।



9. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाएगा। उक्त अपराध में शामिल आवेदक, **राघवेंद्र यादव उर्फ मनीष यादव** को संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत बंधपत्र भरने पर, विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(1). विचारण चलने के दौरान आवेदक संबंधित विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा।

(2). आवेदक के पास अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, तो तुरंत संबंधित न्यायालय को सौंप देना होगा। उसका पासपोर्ट संबंधित न्यायालय की अभिरक्षा में रहेगा।

(3). आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(4). आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा और गवाह अदालत में मौजूद रहेंगे। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और आवेदक की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(5). यदि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो संबंधित न्यायालय कानून और सर्वोच्च न्यायालय के **सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98** प्रकरण में दिए गए फैसले के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

(6). आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (i) प्रकरण शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने के समय। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि इस शर्त का पालन न करना जानबूझकर किया गया है या इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को उसकी जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संबंधित न्यायालय आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

8 जून, 2026

अमित

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।